शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 50 अंक-25 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 16-23 जून 2025 मूल्य पांच रूपये

ए.एस.आई. पंकज को सी.बी.आई. हिरासत में लेगी या गवाह बनायेगी?

➩ डी.जी.पी. की स्टेटस रिपोर्ट से उठी चर्चा

➩ ए.एस.आई. पंकज किसी भी एस.आई.टी. का सदस्य न होते हुए नेगी के शव के पास पहुंचने वाला पहला पुलिसकर्मी कैसे बना?

शिमला/शैल। क्या सी.बी.आई. स्व. विमल नेगी मौत प्रकरण मामले की जांच में ए.एस.आई पंकज को हिरासत में लेगी या पंकज सी.बी.आई. का गवाह बनेगा? यह सवाल इसलिये उठ रहा है की ए.एस.आई. पंकज नेगी प्रकरण की जांच के लिये प्रदेश पुलिस द्वारा गठित दोनों एस.आई.टी. में से एक का भी हिस्सा नहीं रहा है। किसी भी एस.आई.टी. टीम का सदस्य न होते हुए भी वह स्व. नेगी के शव के पास पहुंचने वाला व्यक्ति है। यह खुलासा डी.जी.पी. द्वारा प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गयी स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज है। वैसे एस.पी. शिमला द्वारा दायर एस.आई.टी. की स्टेटस रिपोर्ट में भी इस संदर्भ में किसी के भी नाम का जिक्र नहीं है। डी.जी.पी. की स्टेटस रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि ए.एस.आई. पंकज और मछुआरे शव के पास थाना शाहतलाई की टीम से पहले ही पहुंचे हुए थे। ए.एस.आई. पंकज ने ही स्व. विमल नेगी का पैन ड्राइव फारमैट किया और यह करने को लेकर वह किसी से बातचीत भी कर रहा था यह सारा विवरण डी.जी.पी. की स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज है। डी.जी.पी. एस.पी. शिमला और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की प्रशासनिक रिपोर्ट सब कुछ उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड पर है।

अदालत के रिकॉर्ड पर आयी सारी रिपोर्ट स्वभाविक रूप से सी.बी.आई. के लिये इस मामले में आगे बढ़ने का मुख्य आधार होंगे। इस जांच में सी.बी.आई. संबद्ध पुलिस कर्मियों/अधिकारियों से भी संवाद करेगी यह तय माना जा रहा है। इस मामले में ए.एस.आई. पंकज एक मुख्य आधार सूत्र बनता जा रहा है। क्योंकि वही शव के पास पहुंचने वाला पुलिस कर्मी है वही पेन ड्राइव को फारमैट कर रहा है और इसी सद्धर्भ में किसी से बातचीत भी कर रहा है। बिना किसी एस.आई.टीम का सदस्य होने के वह किसके निर्देश पर शव के पास पहुंचा और किसके निर्देश पर पेन ड्राइव को फारमैट किया यह सब इस प्रकरण के मुख्य बिन्दु बन चुके हैं। इन पर जानकारी केवल पंकज से ही मिल सकती है। यह माना जा रहा है कि संद्धर्भ में पंकज सी.बी.आई. का गवाह भी बन सकता है। यदि पंकज गवाह नहीं बनता है तो सी.बी.आई. को उससे पूछताछ करने के लिये उसे हिरासत में लेकर ही पूछताछ करने का विकल्प शेष बचता है। पूरे प्रदेश की इस पर निगाहें लगी हुई हैं।

ए.एस.आई. पंकज डी.जी.पी. की स्टेटस रिपोर्ट से चर्चा के केंद्र में आया है। इसलिये डी.जी.पी. की स्टेटस रिपोर्ट पर एक व्यापक चर्चा उठाया जाना आवश्यक हो जाता है। एस.पी. गांधी ने अपनी एल.पी.ए. में डी.जी.पी. की स्टेटस रिपोर्ट पर एतराज उठाये हैं लेकिन इन ऐतराज़ के बावजूद उच्च न्यायालय ने डी.जी.पी. की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया है और इसी कारण से वह सारी जांच का मुख्य आधार बन जाती है।

यह है डी.जी.पी. की रिपोर्ट में उठाये गये सवाल

h. On the basis of documents that have been reluctantly provided by SP Shimla and (many important documents such as Sh. Vimal Negi diaries and the actual case diaries as distinct from summary were not provided),

I have some comments on the conduct of investigation done by the SIT under the overall supervision of Sh. Sanjeev Gandhi, Superintendent of Police, Distt. Shimla.

1. Why was the Pen Drive formatted (as per SFSL report)? and how many people knew that Pen Drive had been recovered from the dead body way back on 18th march itself? These questions need to be answered as it casts doubt on the integrity of the investigation carried out so far. Who was ASI Pankaj speaking to regarding Pen Drive after it was recovered from the dead body of Shri Vimal Negi? During the discussion with 02 SIT members on discussion 14.05.2025, it was verbally told to me that it could be SHO Sadar Shimla, Dy. SP Amit and MHC PS Sadar Shimla. There was no clarity on why it was not clear whom these three officers were in turn speaking to when CDR/IPDR of the above three officers could have revealed. These are very basic and intuitive next steps of investigation. The fact that this conversation of ASI Pankaj was also recorded in a mobile phone of a bystander fisherman, should have enabled the SIT to time stamp this conversation of ASI Pankaj and thereafter investigate the chain of people on the whothose persons (whom ASI Pankaj spoke with) spoke to in turn.

2. I have serious concerns with 02 SIT members refusal/ inability to show Vimal Negi diaries on 14.05.2025 when they met me. They abruptly said after lunch that they had to go to prepare the case summary etc. relating to bail matter of Shri Harikesh Meena in this case (Annexure-XII). It seems to be an afterthought, as it is difficult to imagine that they did not know in the morning that the date of this bail matter in the court is next day. It is to be noted that the 02 members of SIT after a lot of resistance from SP Shimla had come with suitcases and trunk full of documents and gave me only two to three hours to examine them and have since not returned till the writing of this report. Also, CCTNS record available electronically to superior officers were not found to be updated.

3. It is also important to note that a nonmember of SIT formed by me (Annexure-XIII) to trace then missing Shri Vimal Negi was sent to handle formalities after sighting of dead body of Shri Vimal Negi in Bilaspur was reported. It is noteworthy that the past reputation of this person, ASI Pankaj is not the best as he has been involved in case FIR No. 63/2015 u/s 307, 324, 34 IPC and 25, 27, 54/59 of Arms Act registered at PS Sadar Shimla to an alleged firing incident involving his service pistol and put in OUSP (Officer Undesirable for Sensitive Posts) list as a result of gravity of the allegations. He has been reportedly acquitted.

4. Also notable is the fact that Inspector Manoj who has written case diary No.26 of 13.04.2025 regarding seizing of phone of fisherman Sunil Kumar which had video recording of ASI Pankaj Kumar talking to someone regarding recovery of Pen Drive from the body of the deceased (as told by SIT members) and who recorded statement about these and Dy. SP Vikram Chauhan who recorded statement of Shri Naveen Kumar, Shri Ashwani, Shri Naman Mishra, Shri Manoj Kumar who were present at the site where the dead body of Shri Vimal Negi was recovered as per CD No. 25 dated 11.04.2025, went on relatively long leave in the middle of the investigation immediately after they were involved in recording statements regarding sighting of Pen Drive along with dead body of Shri Vimal Negi. The summary of case diary No.24 submitted to me by 02 SIT members on 14.05.2025 does not have details of the statement and was not shown to me after lunch when requested. Going by the fact that these 04 people who gave statements and were present at the site of recovery of dead body of Shri Vimal Negi, the statements may contain regarding sighting of Pen Drive. The long leave of Dy. SP Vikram Chauhan and Inspector Manoj Kumar at this juncture of investigation have been noted by me.

5. It is not clear whether and when was action taken against ASI Pankaj despite a 13.04.2025 CD (Case Diary No. 26) showing that he kept the pen drive with him after recovery on 18.03.2025 and surrendered it only after multiple witnesses' statements. Even though, RFSL report has come on around 9th May there was enough evidence of misconduct in mid-April itself.

6. There are unanswered questions as to how 4000 plus files (not pages) were examined by a single ASI and decision taken to format within

शेष पृष्ठ 8 पर..................

राजभवन में उत्साहपूर्वक मनाया गया 11वां अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस

शिमला/शैल। राजभवन शिमला में 11वें अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रहे और अन्य प्रतिभागियों के साथ विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दीं और सभी के स्वस्थ जीवन की कामना की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि योग की शास्वत प्रासंगिकता है और यह अध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि योग मानव जगत के लिए भारत के ऋषि मुनियों का एक अनमोल उपहार है। यह न केवल शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि मन और आत्मा को जोड़ने का माध्यम भी है।

राज्यपाल ने कहा कि योग को विधिवत रूप देने का श्रेय जहां महर्षि पंतजलि को जाता है वहीं योग परम्परा की शुरुआत आदियोगी भगवान शिव से मानी जाती है। भगवान शिव ने ही योग नृत्य और ध्यान की शुरुआत की और मानवता को यह दिव्य परम्परा भेंट की।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने से भारत की संस्कृतिक विरासत को विश्वभर में मान्यता और सम्मान मिला है। आज विश्व के अनेक देश इस दिन को योग दिवस के रूप में उत्साहपूर्वक मना रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि योग किसी धर्म से संबंधित नहीं है बल्कि मानसिक चेतना और शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। विश्वभर के लोग योग को शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए अपना रहे हैं। योग केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं बल्कि संतुलित जीवन जीने की कला भी है जिससे एक जिम्मेदार समाज का निर्माण होता है।

राज्यपाल ने सभी लोगों से एक स्वस्थ व संतुलित जीवन जीने के लिए योग को अपनाने का आहवान किया।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के योग विभाग के प्रो. सत्य प्रकाश पाठक द्वारा इस अवसर पर योग सत्र का संचालन किया गया।

एचएएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने राज्यपाल से भेंट की

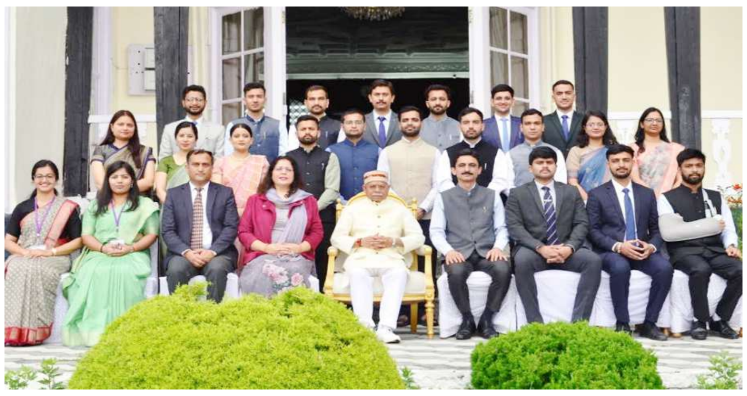

शिमला/शैल। वर्ष 2024 बैच के दो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और वर्ष 2025 बैच के हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 19 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने आज राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। यह परिवीक्षाधीन अधिकारी वर्तमान में डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

राज्यपाल ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवाओं में आने पर बधाई दी और उन्हें लोगों की सेवा के लिए पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से कार्य करने को प्रोत्साहित किया।

राज्यपाल ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी को सदैव समाज हित के कार्यों को निजी उद्देश्यों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को किसी भी स्थिति में सामाजिक सेवा की भावना का क्षरण नहीं होने देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सामाजिक दायित्वों को उत्कृष्टता से निभाने के लिए व्यवहार में विनम्रता नितांत आवश्यक है। जनता सर्वोपरि है तथा अधिकारियों को यह सदैव याद रखना चाहिए कि उनका दायित्व सेवाएं प्रदान करना है न कि शासन करना।

इस अवसर पर परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने राज्यपाल को अपना परिचय दिया और अनुभव साझा किए। उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक एवं सामाजिक मुद्दों पर राज्यपाल के साथ विस्तृत चर्चा भी की।

राज्यपाल ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जमीन से जुड़े रहने तथा क्षेत्र और लोगों की बुनियादी समस्याओं एवं आवश्यकताओं सहित अन्य मुद्दों को गहराई से समझने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को न केवल एक प्रशासक के रूप में कार्य करना चाहिए बल्कि लोगों के साथ मार्गदर्शक, सहयोगी और एक मित्र की तरह सम्बंध स्थापित करने चाहिए।

इससे पूर्व, संस्थान की निदेशक रूपाली ठाकुर ने राज्यपाल को प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संरचना, उद्देश्यों और विषय वस्तु आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। संस्थान के अतिरिक्त निदेशक प्रशांत सरकेक तथा पाठयक्रम निदेशक संदीप शर्मा इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने हिमाचल में टीबी उन्मूलन अभियान की प्रगति की समीक्षा की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में राजभवन में टीबी उन्मूलन अभियान के सम्बंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में 100 दिवसीय 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत राज्य में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल की भूमिका पर भी चर्चा हुई।

बैठक के दौरान राज्यपाल ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य और जिला स्तर पर टीबी की नियमित निगरानी, जन भागीदारी और जन जागरुकता पर बल दिया। उन्होंने हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस अभियान को और प्रभावी तथा सफल बनाने के लिए ठोस रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

शुक्ल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट तैयार करने को कहा ताकि इसे केंद्र सरकार को भेज कर अतिरिक्त सहायता की मांग की जा सके।

सचिव, स्वास्थ्य सेवाएं एम. सुधा देवी ने राज्यपाल को प्रदेश में टीबी उन्मूलन को लेकर की जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

उप मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. गोपाल बेरी ने अभियान की वर्तमान प्रगति और उपलब्धियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा, नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर प्रदीप कुमार और राज्य आईईसी अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने की शूलिनी मेला की अन्तिम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में राज्य स्तरीय शूलिनी मेला-2025 की अन्तिम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उनके साथ उपस्थित थीं।

राज्यपाल ने इस अवसर पर सभी को राज्य स्तरीय शूलिनी मेला-2025 की बधाई दी। उन्होंने इस अवसर पर सोलन के गंज बाजार स्थित प्राचीन दुर्गा पीठ में पूजा-अर्चना की और सभी प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

परम्परा एवं मान्यता के अनुसार सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी मेले के अवसर पर तीन दिनों तक गंज बाजार स्थित प्राचीन दुर्गा पीठ में विराजती हैं।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मेले की अन्तिम सांस्कृतिक संध्या में रेडक्रॉस समिति सोलन के नये आजीवन सदस्यों को पिन अप किया और आशा जताई कि सभी रेडक्रॉस समिति के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा को अपना ध्येय बनाएंगे तथा जन-जन को इस दिशा में प्रेरित करेंगे।

उन्होंने इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय सोलन के प्रथम वर्ष के छात्र एवं चित्रकार विनीत कश्यप तथा कोला ज्योतिषाचार्य देवेन्द्र वर्मा को सम्मानित भी किया।

चित्रकार विनीत कश्यप द्वारा बनाए गए मां शूलिनी के चित्र ही इस वर्ष मेला निमंत्रण पत्र सहित अन्य प्रकाशनों में प्रयोग किए गए हैं।

इससे पहले, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल मुख्यातिथि का स्वागत किया।

कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

डॉ. यशवंत सिंह परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजेश्वर सिंह चन्देल, राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा, उपायुक्त एवं राज्य स्तरीय मेला समिति के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

राजभवन में विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस समारोह आयोजित

शिमला/शैल। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत राजभवन में महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, गोवा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष सांस्कृतिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश में रह रहे इन राज्यों के नागरिकों ने इस समारोह में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला ने प्रतिभागियों को राज्य के आतिथ्य और सांस्कृतिक सद्भाव के प्रतीक पारंपरिक हिमाचली टोपी और मफलर भेंट कर सम्मानित किया।

राज्यपाल ने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन 'विविधता में एकता' को बढ़ावा देकर 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना को मूर्त रूप देते हैं। यह आयोजन सभी को एक साथ लाकर उनमें अपनेपन की भावना उत्पन्न करता है और उन्हें अपने मूल स्थान से दूर होने पर भी घर जैसा अनुभव मिलता है।

उन्होंने कहा कि 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' पहल देश में भाषा और सांस्कृतिक विविधता के प्रति आपसी सम्मान, समझ और राष्ट्रीय एकता की भावना को सशक्त करती है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों को एक स्थान पर एकत्रित देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमाचल में ही 'मिनी इंडिया' बस गया हो।

राज्यपाल ने कहा कि 'विविधता में एकता' भारत की वास्तविक ताकत है, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम अपनी स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा, 'हमारी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और इन मूल्यों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुचाना अत्यंत आवश्यक है।

इस अवसर पर प्रतिभागियों ने अपने-अपने राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े अनुभव साझा किए और राज्यपाल से संवाद किया।

मुख्यमंत्री ने सोलन में मॉडल करियर सेंटर और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के

जटोली में 5.32 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित मॉडल करियर सेंटर का उद्घाटन किया। यह केंद्र युवाओं को रोजगार से जुड़ी आधुनिक, समसामयिक और महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा मार्गदर्शन प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस केंद्र में करियर परामर्श, स्किल मैपिंग, साक्षात्कार की तैयारियां तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार की जानकारी समय पर उपलब्ध होगी। यह प्रदेश सरकार की युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2.27 करोड़ रुपये की लागत से आबकारी एवं कराधान विभाग के नवनिर्मित कार्यालय का भी लोकार्पण किया। विभाग की दो शाखाओं के पुनर्गठन के बाद इस भवन में कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक कार्यालय और आमजन के लिए बैठने की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नगर निगम सोलन द्वारा 44.99 लाख रुपये की लागत से निर्मित एनिमल बर्थ कन्ट्रोल एबीसी सेंटर का भी उद्घाटन किया। यह सेंटर वैज्ञानिक तरीके से आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस केंद्र में आधुनिक ऑप्रेशन थियेटर और पशु चिकित्सा से सम्बंधित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मुख्यमंत्री ने 53 लाख रुपये की लागत से निर्मित 'सोलन वाटिका पार्क' का भी लोकार्पण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अर्जुन का पौधा भी रोपित किया।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शाडिल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान सोलन क्षेत्र के विकास को तीव्र गति प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक शूलिनी मेले का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलन में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेले का शुभारम्भ किया। माता शूलिनी को समर्पित यह मेला आस्था और भक्ति का जीवंत उदाहरण है।

सदियों की परम्पराओं को प्रतिबिम्बित करते हुए यह मेला माता शूलिनी और उनकी बड़ी बहन देवी दुर्गा के मिलन का प्रतीक है। उत्सव का मुख्य आकर्षण देवी की पालकी यात्रा है। सोलन की सड़कों पर कतारबद्ध खड़े आस्था के भाव से परिपूर्ण हजारों श्रद्धालुओं ने माता शूलिनी का आशीष प्राप्त किया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। आध्यात्मिक माहौल में मुख्यमंत्री ने शहर के मुख्य क्षेत्रों से गुजरने वाली शोभा यात्रा में भाग लिया। चौक बाजार में माता शूलिनी की पालकी

के आगमन पर उन्होंने श्रद्धा भाव से फूल बरसाए। उन्होंने प्रदेश के लोगों को शूलिनी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेला समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया।

इससे पूर्व, सोलन के उपायुक्त एवं मेला समिति के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने ठियोग में एचआरटीसी का सब डिपो और वर्कशॉप खोलने की घोषणा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के ठियोग में 14.84 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए बस अड्डे तथा 23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एपीएमसी फल एवं सब्जी विपणन परिसर शिलारू का लोकार्पण किया।

ठियोग में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बस अड्डे में यात्रियों और एचआरटीसी के स्टाफ को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा बस पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि फल एवं सब्जी विपणन परिसर शिलारू के बनने से न केवल क्षेत्र के किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य सुनिश्चित होंगे, बल्कि उनके धन और समय की भी बचत होगी।

उन्होंने ठियोग मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए धन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने ठियोग में एचआरटीसी का सब डिपो और वर्कशॉप खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पुराने बस अड्डे के स्थान पर शॉपिंग कॉम्पलेक्स बनाने के लिए धन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुरपन पेयजल परियोजना के लिए भी राज्य सरकार पूरा धन उपलब्ध करवाएगी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ठियोग अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास कर रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार डॉक्टरों व नर्सो के साथ-साथ रोगी मित्रों की भर्ती करने जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि पराला मंडी में 26 करोड़ रुपये की लागत से वाइनरी स्थापित करने जा रहे हैं, जिससे बागवान

लाभान्वित होंगे।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और विधायक कुलदीप राठौर दोनों ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं तथा दोनों ने संगठन को सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा, ''ठियोग ने हमेशा ताकतवर नेतृत्व चुना है, इसलिए इस क्षेत्र से हमारा विशेष लगाव है और ठियोगवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बस अड्डे का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पांच करोड़ रुपये जारी किए। उन्होंने कहा कि कुरपन परियोजना पर 255 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं और योजना को पूरा करने के लिए बाकी 45 करोड़ रुपये भी विभाग के पास उपलब्ध है जल्द ही इस परियोजना को पूर्ण कर लिया जाएगा। ठियोग के बचे हुए वार्डो में भी सीवरेज का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

विधायक एवं एआईसीसी सचिव कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कुरपन पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ठियोग में पीने के पानी की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ठियोग में बेहतर सड़कें बनेंगी और विधायक के तौर पर जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया जा रहा है।

वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को निमंत्रण

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को राष्ट्र मंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र जोन-2 के वार्षिक सम्मेलन के शुभारंभ समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। यह सम्मेलन का 30 जून से 01 जुलाई, 2025 तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस सम्मेलन में जोन-2 के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि भाग लेंगे जिनमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर सम्मिलित हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक और राज्यों के विधायक भी सम्मेलन में शामिल होंगे।

इसके अतिरिक्त कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अध्यक्षों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रशासन और क्षेत्रीय सहयोग पर सार्थक संवाद को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह मंच लोकतंत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को सुगम और संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एक देश-एक चुनाव के लिए जेपीसी ने मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। एक देश-एक चुनाव के प्रस्ताव से संबंधित संविधान एक सौ उनतीसवां संशोधन विधेयक,

2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ बैठक की।

समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी और अन्य सदस्यों का मुख्यमंत्री ने गरिमापूर्ण स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को पारम्परिक हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

समिति ने प्रस्तावित एक देश-एक चुनाव के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने समिति के साथ प्रदेश सरकार के विचार साझा किए। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर भी समिति के सदस्य के रूप में बैठक में सम्मिलित हुए।

बैठक के उपरान्त मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत समिति को कुछ सुझाव दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक वर्ष में उप-चुनाव करवाने का प्रावधान रखने का सुझाव दिया है।

राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य के दल को रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से 60 खिलाड़ियों के दल को राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चौंपियनशिप के लिए रवाना किया। यह दल 25 जून से 28 जून, 2025 तक देहरादून में आयोजित होने वाली सात आयु वर्गो की विभिन्न प्रतिस्पधाओं में भाग लेगा। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दीं और उन्हे अंतराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बधाई भी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा प्रदान कर रही है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने ओलंपिक, पैरा-ओलंपिक और एशियाई खेलों जैसी अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने डाइट मनी में भी वृद्धि की है तथा बेहतर यात्रा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब खिलाड़ियों को 200 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए एसी थ्री टियर ट्रेन का किराया और लंबी दूरी के लिए इकानमी क्लास का हवाई किराया दिया जा रहा है। खिलाड़ियों को दी जाने वाली इन सुविधाओं का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करना है ताकि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे और स्वस्थ जीवन शैली को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

किसी भी व्यक्ति को अपना विश्वास बनाने में धीमी गति की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार विश्वास बन जाने पर उसे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी बनाए रखना चाहिए।
......महात्मा गांधी

सम्पादकीय

क्या प्रदेश में तीसरे विकल्प की जमीन तैयार हो रही है?

हिमाचल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप जिस तर्ज पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगा रहे हैं उससे सरकार के आत्मनिर्भरता और अग्रणी राज्य बनने के दावों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक सुक्खू सरकार केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं में नियमों को तोड़ मरोड़ कर भ्रष्टाचार को आमंत्रण दे रही हैं। फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना केंद्र से वित्त पोषित है और इसमें सरकार नियमों को तोड़ मरोड़ भारी भ्रष्टाचार को अंजाम देने जा रही है। यह आरोप अपने में ही बड़ा आरोप हो जाता है जब केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के नियमों में राज्य सरकार अपने स्तर पर बदलाव करने लग जाये। केंद्र सरकार इसका कड़ा संज्ञान लेकर कोई भी कदम उठा सकती है जिसका प्रदेश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। राज्य सरकार ने अभी तक इस आरोप का कोई जवाब देकर इसका खण्डन नहीं किया है। यह चर्चा उठाना इसलिये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सुक्खू सरकार हर माह कर्ज पर आश्रित हो गयी है। अपने संसाधन बढ़ाने के नाम पर प्रदेश की जनता पर लगातार परोक्ष/अपरोक्ष में करों का भार बढ़ाती जा रही है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश का कर राजस्व 11835.29 करोड़ था जो अब 2025-26 में 16101.10 करोड़ अनुमानित है। इसका अर्थ है कि इस सरकार ने अब तक 5000 करोड़ से ज्यादा का करभार बढ़ा दिया है। जबकि विद्युत, वानिकी, खनन एवं खनिज और अन्य संसाधन जिनमें उत्पादन हो रहा है उन क्षेत्रों का करेतर राजस्व जो 2023-24 में 3020.88 करोड़ था अब 2025-26 में 4190.37 करोड़ अनुमानित है। करेतर राजस्व में केवल 1000 करोड़ की वृद्धि हो रही है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है की सरकार के करेतर राजस्व में जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक प्रदेश आत्मनिर्भर होने का सोच भी नहीं सकता।

जब सरकार की सारी सोच जनता पर करभार बढ़ाकर ही राजस्व जुटाने तक सीमित हो जाये तो वह प्रदेश के लिये एक बड़े खतरे का संकेत बन जाता है। सरकार ने हर बजट कर मुक्त बजट प्रचारित और घोषित किया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब बजट कर मुक्त थे तो फिर कर राजस्व में पांच हजार करोड़ की वृद्धि कैसे हो गयी? स्वभाविक है कि जनता के साथ गलत ब्यानी हुई है। सरकार की कर और करेतर राजस्व से सिर्फ बीस हजार करोड़ की आय हो रही है जबकि इस आय के मुकाबले सरकार का राजस्व व्यय ही 48733. 04 करोड़ जो कि आय के दो गुणा से भी अधिक है। यह राजस्व व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि पूंजीगत व्यय जो 2023-24 में 9252.24 करोड़ था वह 2024-25 में 10276.98 करोड़ था अब 2025-26 में घटकर 8281.27 करोड़ रह गया है। पूंजीगत व्यय शुद्ध विकासात्मक व्यय होता है। इस व्यय का घटना इस बात का प्रमाण है कि इस वर्ष विकास कार्यों पर बहुत ही कम खर्च होगा। आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस सरकार में विकास कार्यों पर खर्च लगातार कम होता जा रहा है।

बजट के इन आंकड़ों से यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब विकास कार्यों पर खर्च ही लगातार कम होता जा रहा है तो सरकार के आत्मनिर्भरता के दावों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि आत्मनिर्भरता तो तब बनेगी जब विकास पर खर्च बढ़ेगा। दूसरी ओर जब सरकार का कर राजस्व कर लगाने से बढ़ रहा है और कर्ज का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है तो फिर सरकार की स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएं क्यों कुप्रभावित हो रही है। कर्मचारियों के एरियर का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। मेडिकल बिल लम्बे अरसे से लंबित चल रहे हैं। ठेकेदारों के भुगतान नहीं हो रहे हैं। जब वित्त विभाग को ट्रेजरी ही बन्द करनी पड़ी है और जिन कार्यों के लिये प्रतिमाह सब्सिडी का भुगतान किया जाता था उनमें अब वार्षिक आधार पर यह भुगतान करने के आदेश करने से यह कार्य प्रभावित हो जायेंगे। मनरेगा के कार्य काफी अरसे से बन्द चल रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यह करों और कर्ज का पैसा कहां खर्च हो रहा है? सरकार इस सवाल पर लगातार चुप्पी बनाये हुये है। जबकि भ्रष्टाचार को बड़े स्तर पर संरक्षण दिया जा रहा है यह मुख्य सचिव के सेवा विस्तार पर उच्च न्यायालय में आयी याचिका से स्पष्ट हो जाता है। भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दों पर सरकार खामोश चल रही है विपक्ष मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। इस उम्मीद में बैठा है कि कांग्रेस के बाद सत्ता उसी के पास आनी है। लेकिन यदि कोई तीसरा राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के इस खेल को बेनकाब करते हुये सामने आ जाये तो किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिये। जब जनता की दशा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों रस्म अदायगी से आगे नहीं बढ़ते हैं तभी विकल्प के उभरने की जमीन तैयार होती है।

वक्फ बोर्डों की व्यापक शक्तियों में तत्काल सुधार की बेहद जरूरत है

गौतम चौधरी

वक्फ प्रॉपर्टीज, जो मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक, सामाजिक और धर्मार्थ उद्देश्यों की सेवा के लिये हैं, पूरे भारत में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और आपराधिकता के लिये हॉटस्पॉट बन गये हैं। हाल के कई मामले वक्फ बोर्डों की अनियंत्रित शक्ति, अवैध बिक्री और संपत्तियों की पट्टे और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला प्रयागराज के बताशा मंडी स्थित इमाम बाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर में देखने को मिला। वर्ष 2017 में, तत्कालीन मुतवल्ली (कार्यवाहक) ने उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के साथ मिल कर, इमाम बाड़े के एक हिस्से को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया और वक्फ संपत्ति पट्टा नियम, 2014 का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए एक वाणिज्यिक परिसर का निर्माण कर दिया। परिसर में दुकानों को बाजार मूल्य से बहुत नीचे दरों पर पट्टे पर दे दिया गया, जिसमें किरायेदारों को अवैध रूप से 30-60 लाख तक की वसूली की गयी। यही नहीं आरोप तो यहां तक है कि कुछ दुकानदारों से एक करोड़ तक की रकम वसूली गयी। इस कुप्रबंधन के कारण वक्फ को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। इसका हिसाब भी ठीक नहीं है। इसके अलावा, आरोप तो यह भी है कि मुतवल्ली ने कथित तौर पर अनधिकृत निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिए चेयरमैन वसीम रिजवी को 65-75 लाख रुपये का भुगतान किया। कुछ स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि यह रकम एक से डेढ़ करोड़ तक की हो सकती है।

दूसरा मामला, तामिलनाडु का है। तमिलनाडु में राज्य राजस्व अधिकारियों (एसआरओ) ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड (टीएनडब्ल्यूबी) के अधिकारियों के साथ मिल कर सैकड़ों करोड़ रुपये की वक्फ संपत्तियों की अवैध बिक्री की अनुमति दी है। एक स्वतंत्र रिपोर्ट से पता चलता है कि 1,030 वक्फ संपत्तियों में से लगभग 60 प्रतिशत, जो 1 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय उत्पन्न करती हैं, तमिलनाडु अदालत की योजना के अंतर्गत आती हैं। हालांकि, टीएनडब्ल्यूबी मनमाने ढंग से मुतवल्लियों (कार्यवाहकों) की नियुक्ति और हटाने के द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर रहा है, जिससे बोर्ड को प्राप्त अनियमित शक्तियों का पता चलता है।

एक अन्य विवादास्पद वक्फ भूमि आवंटन में डीएमके त्रिची जिला कार्यालय, कलैग्नार अरिवलयम शामिल है, जिसका निर्माण टीएनडब्ल्यूबी से संबंधित प्रमुख वक्फ भूमि पर किया गया था। उचित कानूनी कार्यवाही के बजाये, बिना किसी न्यायिक जांच के, केवल वक्फ बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर, भूमि को नाममात्र किराये पर एक राजनीतिक दल को दे दिया गया। इस अवैध आवंटन के परिणामस्वरूप मुस्लिम समुदाय को भारी नुकसान हुआ, जो इस भूमि का उपयोग धार्मिक या कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था।

इसके अलावा, टीएनडब्ल्यूबी जैसे वैचारिक और सांप्रदायिक समर्थन वाले समूहों द्वारा मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर बलपूर्वक कब्जा करने के कई उदाहरण सामने आये हैं। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण चेन्नई के एलिस रोड में चेटी की ग्रैंड मस्जिद (नौल बैंड मस्जिद) पर शत्रुतापूर्ण तरीके से कब्जा करना है, जहां टीएनडब्ल्यूबी द्वारा समर्थित एक विशिष्ट संप्रदाय ने मस्जिद पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया।

एक और चौंकाने वाला मामला कृष्णागिरी जिले में हजरत याकूब दरगाह का है। यहां के मामले में आरोप है कि प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्य द्वारा इस स्थान पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है। इसे कथित तौर पर टीएनडब्ल्यूबी अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है। चूंकि पीएफआई पर चरमपंथी गतिविधियों का आरोप है, इसलिए ऐसी घटनाएं गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा करती हैं। स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद हैदर अली को एफसीआरए उल्लंघन के लिए कारावास की सज़ा सुनाने वाले निचली अदालत के फ़ैसले को बरकरार रखा है। यह निर्णय वक्फ संस्थाओं में व्याप्त वित्तीय कदाचार को उजागर करता है तथा आगे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

उपर्युक्त घटनाओं की मिमांसा से ऐसा लगता है कि वक्फ अधिनियम में तत्काल संशोधन की आवश्यकता है, ताकि वक्फ संपत्तियों की जवाबदेही, पारदर्शिता और उचित प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की सख्त निगरानी होनी चाहिए ताकि अवैध बिक्री और कुप्रबंधन को रोका जा सके, जो कई राज्यों में बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त, वक्फ भूमि आवंटन और पट्टों की स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संपत्तियां अवैध रूप से राजनीतिक या सांप्रदायिक समर्थन वाले व्यक्तियों या संगठनों को नाममात्र दरों पर पट्टे पर नहीं दी जाएं या बेची जाएं। इसके अलावा, वक्फ संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वित्तीय अनियमितताओं और अवैध लेनदेन में शामिल वक्फ बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक कारवाई की जानी चाहिए।

वक्फ संपत्तियों की आय और व्यय पर नज़र रखने के लिए एक मजबूत पारदर्शी वित्तीय लेखा परीक्षा प्रणाली भी शुरू करने की जरूरत है। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के बजाये सामुदायिक कल्याण के लिए किया जाए। एक अन्य ज्वलंत मुद्दा मस्जिदों, धार्मिक स्थलों और अन्य धार्मिक संपत्तियों पर विशिष्ट संप्रदायों या राजनीतिक संबद्धताओं से संबंधित समूहों या व्यक्तियों द्वारा बलपूर्वक कब्जा करना है, जिसे अक्सर वक्फ बोर्डों का समर्थन प्राप्त होता है। इन धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानूनी उपाय लागू किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे अपने वास्तविक समुदायों के लिए सुलभ रहें। इन आवश्यक सुधारों के बिना, वक्फ प्रणाली भ्रष्टाचार, शोषण और कुप्रबंधन से ग्रस्त रहेगी, जिससे मुस्लिम समुदाय को उनके लाभ के लिए मूल्यवान संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा।

वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अवैध लेन-देन के लगातार मामले सामने आने के बाद तत्काल विधायी और प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने विगत दिनों वक्फ सुधार बिल लाकर एक बेहद कार्य किया है। इस सुधार की सराहना होनी चाहिए। हो सकता है, इस बिल में कुछ त्रुटियां हों लेकिन एक नियामक तो तय किया गया है, जिसे बाद में और ज्यादा सुधारा जा सकता है। इस दिशा में प्रयास एक सफल राजनीतिक सुधार है। इसे स्वीकारने में किसी भी प्रकार की राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं होनी चाहिए।

मां की शक्ति, बच्चों का भविष्य: योग से बदलता परिदृश्य

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री,

चाहे वह बोर्डरूम हो या युद्धभूमि-मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त महिलाएं ही बदलाव की वाहक होती हैं। महिलाओं के लिए अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान कर उसे विकसित करना अत्यंत आवश्यक है, और योग इसकी कुंजी है।

योग की जन्मस्थली भारत में आज भी इस प्राचीन जीवनशैली को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के पोषण के लिए एक दार्शनिक पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाता है।

भगवद्गीता (अध्याय 2, श्लोक 50) में कहा गया है-''योग: कर्मसु कौशलम'', अर्थात् 'योग कर्मों में कौशल है।

भगवान श्रीकृष्ण का स्पष्ट सदेश है कि-सच्चा योग शारीरिक आसन या ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात में परिलक्षित होता है कि हम अपने दैनिक कर्तव्यों को कितनी कुशलता और ध्यानपूर्वक निभाते हैं।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में, मेरा दृढ़ विश्वास है कि योग में परिवर्तनकारी क्षमता है, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने और बच्चों के पोषण में, जो हमारे समाज की नींव हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में योग ने वैश्विक मंच पर एक कल्याणकारी और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में पहचान प्राप्त की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, जो भारत की महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक मान्यता सिद्ध करता है।

इस वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम, 'एक धरती, एक स्वास्थ्य के लिए योग' है स जो कि योग की सर्वसमावेशी और सार्वभौमिक अपील को रेखांकित करती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि 'योग किसी कॉपीराइट, पेटेंट या रॉयल्टी से मुक्त है। यह लचीला है-आप इसे अकेले, समूह में, गुरु से या स्वयं भी सीख सकते हैं।' जैसे-जैसे हमारा राष्ट्र विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है, यह आवश्यक हो जाता है कि योग को महिलाओं और बच्चों के जीवन का अभिन्न अंग बनाया जाये।

भारत की कुल आबादी में महिलाओं और बच्चों की संख्या लगभग दो-तिहाई है, और वे स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। अत: उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है, और योग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है।

योग महिलाओं के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से अनेक लाभ प्रदान करता है। यह हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाता है, मानसिक तनाव को कम करता है, और मांसपेशियों एवं हड्डियों को मजबूत बनाता है। विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं की विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार योग एक समग्र और प्रभावी समाधान प्रदान करता है। योग को अपनाकर महिलाएं गर्भावस्था से पूर्व और बाद के परिवर्तनशील समय की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनती हैं। प्रसव पूर्व योग, अपने विशेष आसनों और ध्यान तकनीकों के साथ, गर्भावस्था की परेशानियों को कम करता है, दर्द प्रबंधन में सहायता करता है, और ऊर्जा को बढ़ाता है। यह गर्भवती माताओं को शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रसव के लिए तैयार करता है। प्रसवोत्तर योग, स्तनपान कराने वाली माताओं को उनकी रिकवरी, भावनात्मक सहायता, स्तनपान को बढ़ावा देने और मां-बच्चे के रिश्ते को मजबूत करने में मदद करता है।

महिलाओं में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए, भारत में 25 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक सशक्त नेटवर्क है, जो योग को महिलाओं और बच्चों के दैनिक जीवन में अपनाने के लिए जानकारी, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर रहा हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की वकालत की है। वे कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक का यह अनुमान है कि महिला श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि से भारत के औद्योगिक उत्पादन में 9% तक की वृद्धि हो सकती है और 2047 तक हम एक उच्च आय वाले विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यह सब तभी हासिल किया जा सकता है जब हमारे पास शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ महिला कार्यबल हो।

आज की तेजी से बदलती दुनिया में, बच्चे भी जीवनशैली संबंधी विकारों, स्क्रीन पर निर्भरता और शैक्षणिक दबावों से तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। योग इन चुनौतियों के लिए साक्ष्य-आधारित, समयबद्ध और सांस्कृतिक रूप से निहित प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यह एकाग्रता, याददाश्त बढ़ाने, भावनात्मक विनियमन, नींद की गुणवत्ता और तनाव के प्रबंधन को बेहतर करता है-जो समग्र बचपन के विकास के प्रमुख घटक हैं। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से, हमारा मंत्रालय योग को बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और विकास में शामिल कर रहा है, जो आजीवन स्वास्थ्यवर्धक आदतों की नींव रख रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत योग को महिलाओं और बच्चों के जीवन के अभिन्न अंग के रूप में अपनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

हमारी प्रमुख योजनाएं, जैसे-आंगनवाड़ी केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और बाल देखभाल संस्थान आदि न केवल पोषण और कल्याण सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करते हैं, बल्कि योग से जुड़ी विशेष गतिविधियों एवं प्रशिक्षण के माध्यम से लाभार्थियों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इन केंद्रों में आयुष मंत्रालय के सहयोग से तैयार विशेष योग मॉड्यूल्स लागू किए जा रहे हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित हैं।

वैश्विक व्यवस्था के बदलते विमर्श में, महिलाएँ हर मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आईटी से लेकर अंतरिक्ष तक और नीति निर्माण से लेकर सामरिक रक्षा तक, महिलाएं नई अग्रिम पंक्ति की योद्धा हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नेतृत्व इसका जीवंत उदाहरण हैं। यह स्पष्ट है कि मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त महिलाएं असाधारण परिवर्तनकारी शक्ति बन सकती हैं-और योग उनकी इस अपार क्षमता का आधार है।

योग के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। महिला और बाल विकास की अपनी नीतियों में योग को सक्रिय रूप से शामिल करके, हम अपनी सांस्कृतिक संप्रभुता पर जोर दे रहे हैं। योग को केवल एक अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक सहभागी अभियान, एक जन-आंदोलन के रूप में देखा जाना चाहिए और हमारी सरकार इस मुहिम को देश के हर हिस्से में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

विकसित भारत/2047 की ओर हमारी यात्रा में, योग एक संवेदनशील, सशक्त और लचीला समाज गढ़ने की दृष्टि प्रदान करता है। आइए, हम सभी मिलकर 'स्वस्थ भारत' की प्रतिबद्धता के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य और राष्ट्रीय समृद्धि में योग को अपनाने की दिशा में एकजुट हों।

26000 से अधिक लाभार्थियों को वितरित की गई लगभग 90 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

प्रदेश सरकार की योजनाओं से सशक्त हो रही महिलाएं

महिलाओं और बच्चों का समावेशी विकास किया जा रहा सुनिश्चित

शिमला। महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है। आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण में महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर कई कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और वित्तीय स्वावलंबन आधारित योजनाओं के लाभ महिलाओं और बच्चों को मिल रहे हैं।

सरकार की सकारात्मक प्रयासों का यह नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है। प्रदेश में लिंगानुपात की दर वर्ष 2023 में 947 से बढ़कर वर्ष 2024 में 964 हो गई है। यह सकारात्मक बदलाव दर्शाता है कि समाज में लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है।

प्रदेश सरकार वंचित वर्गों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। प्रदेश की 3,956 लड़कियों को उनकी शादी के समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 1,989.31 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। सरकार की शगुन योजना लड़कियों के जीवन को खुशियों से भर रही है। मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 12,192 लड़कियों को 3,779.52 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। सरकार के यह प्रयास प्रदर्शित कर रहे हैं कि अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां भी सम्मान और खुशी के साथ जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रही हैं।

प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। योजना के तहत, 239 महिलाओं को 291.15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

सामाजिक सरोकारों का निर्वहन

करते हुए समाज का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार समाज के वंचितों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपना रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अनाथ बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को शुरू किया। अब तक इस योजना के तहत 25.98 करोड़ रुपये से निराश्रित बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया है। शिक्षा की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत 302.18 लाख रुपये से 9,859 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में बच्चों को सपने साकार करने के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 में संशोधन कर बेटियों को अलग पारिवारिक इकाई मानते हुए बेटो के बराबर अधिकार दिया है। अब किसी परिवार की अधिकतम स्वीकार्य भूमि सीमा की गणना के लिए बेटियों को भी अलग इकाई माना जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के इस महत्वकांक्षी निर्णय से महिलाओं के संपति अधिकारों में बढ़ोतरी हुई है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में वर्तमान राज्य सरकार की इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत, सरकार बीपीएल परिवार में पैदा होने वाली दो बेटियों के लिए बीमा कंपनी के पास 25,000 रुपये जमा करवा रही है। योजना के तहत माता-पिता को 2-2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी मिल रहा है। जमा की गई राशि बालिका को बालिग होने पर या स्वेच्छानुसार 27 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी।

कामकाजी महिलाओं की सहायता के लिए, सरकार सोलन, बद्दी, पालमपुर, गगरेट और सोलन में मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे प्रमुख स्थानों पर 13 कामकाजी महिला छात्रावास निर्मित करेगी। इन छात्रावासों का निर्माण इस वित्त वर्ष में 132 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, किफायती और सुविधाजनक आवास की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री के सक्षम नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और बच्चों का समावेशी और समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप सशक्त समाज का निर्माण हो रहा है।

प्रदेश में छः नए दुग्ध संयंत्र स्थापित किए जाएंगे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने डेयरी सहकारी समितियों का गठन मिशन मोड पर करने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डेयरी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 910 ग्राम पंचायतों में डेयरी सहकारी समितियां कार्यरत हैं और विभाग को कार्यशील समितियों की संख्या बढ़ाने के लिए दृढ़ता से कार्य करना चाहिए।

कांगड़ा जिला में निर्माणाधीन ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की समीक्षा करते हुए उन्होंने संयंत्र के कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 225 करोड़ रुपये की लागत से 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला यह दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र का कार्य जून, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और चंबा जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऊना जिले के झलेड़ा, हमीरपुर जिले के झलाड़ी, सिरमौर जिले के नाहन, कुल्लू जिला के मोहल, सोलन जिला के नालागढ़ और शिमला जिला के रोहड़ू में 120 करोड़ रुपये की लागत से छः नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र और दूध शीतन चिलिंग संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों से दूध एकत्रित करने में भी सहायता मिलेगी तथा उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने मिल्कफेड को निर्देश दिए कि वे पहाड़ी गाय के दूध से बने हिम-घी ब्रांड को प्रोत्साहित करें ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके। उन्होंने राज्य में गौ सदनों की स्थापना के लिए चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की तथा इनके कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कई वर्षों से रुकी जल विद्युत परियोजनाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग को उन जल विद्युत डेवलपर्स को परियोजना रद्द करने के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं जो गम्भीरता से कार्य नहीं कर रहे हैं, जिनकी परियोजनाएं कई वर्षों से रुकी हुई हैं। ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना निष्पादन में अनावश्यक देरी से प्रदेश के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल विद्युत राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसका लाभ राज्य के लोगों को मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विभिन्न प्लेटफार्म और मंचों पर राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एक बड़े फैसले में राज्य सरकार ने एसजेवीएनएल को पहले आवंटित 382 मेगावाट क्षमता के सुन्नी, 210 मेगावाट लुहरी स्टेज-1 और 66 मेगावाट क्षमता की धौलासिद्ध परियोजनाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक पड़ोसी राज्य भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकाए का निपटान करने के लिए ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक राज्य सरकार किशाऊ और रेणुका बांध जैसी आगामी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ेगी। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि बीबीएमबी ने पंप भंडारण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भाखड़ा बांध पर 4403 मेगावाट क्षमता और कोल बांध पर 8700 मेगावाट क्षमता की पहचान की है। उन्होंने विभाग को इस दिशा में आगे बढ़ने के निर्देश दिए ताकि राज्य के लोग इन परियोजनाओं से अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री ने एचपीएसईबीएल को अगस्त, 2025 तक काजा सौर ऊर्जा परियोजना को कार्यशील करने और चंबा जिला की दूरदराज पांगी घाटी के धनवास में बैटरी बैकअप के साथ एक मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस परियोजना के दिसंबर, 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है और इससे भारी बर्फबारी के दौरान भी पांगी घाटी की 19 ग्राम पंचायतों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने 'ग्रीन पंचायत योजना' की प्रगति की भी समीक्षा की तथा परियोजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन 450 मेगावाट क्षमता की शोंग टोंग जल विद्युत परियोजना की समीक्षा भी की तथा ऊर्जा निगम को इस परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करने को कहा।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एचपीएसईबीएल द्वारा 66 केवी क्षमता के पांच सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 132 केवी और 220 केवी क्षमता के कुल दस सब स्टेशन, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थापित किए जाएंगे।

प्रदेश सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्धः डॉ. शांडिल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सैनिक कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि राज्य की आबादी का लगभग 14.5 प्रतिशत सैनिक, पूर्व सैनिक तथा उनके आश्रित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार सैनिक कल्याण विभाग में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों में निर्माणाधीन विभिन्न सैनिक सदन, प्रशिक्षण अकादमी, नूरपुर और फतेहपुर में बनने वाले शहीद स्मारक तथा सैनिक कल्याण से जुड़े अन्य संस्थानों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इनके निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर में निर्माणाधीन वॉर मैमोरियल, मेजर सोमनाथ शर्मा की प्रतिमा तथा सैनिक विश्राम गृहों के रख-रखाव के लिए भी प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर धनराशि उपलब्ध करवाएगी।

सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र ही राज्य सैनिक बोर्ड तथा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कोष प्रबन्धन समिति का शीघ्र ही गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गैर सैन्य स्टेशनों जैसे कि ज़िला ऊना, हमीरपुर, मंडी एवं बिलासपुर में वैटरन सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश की कठिन भौगोलिक स्थिति तथा कम जनसंख्या घनत्व के दृष्टिगत प्रदेश में अतिरिक्त सीएसडी कैंटीन तथा एक्सटेंशन काउंटर स्थापित करने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।

बैठक में अवगत करवाया गया कि इस वर्ष 15 जनवरी से 10 जून के बीच 118 पूर्व सैनिकों को आउटसोर्स आधार पर सुरक्षा सेवाओं से जुड़े रोज़गार उपलब्ध करवाए गए हैं। सीमेंट फैक्ट्रियों में पूर्व सैनिकों के 44 ट्रक कार्य पर लगाए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत 8 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में कुल 144 परियोजनाओं में प्रदेश के 4103 पूर्व सैनिकों को रोज़गार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, एम्ज बिलासपुर में 73 सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

राज्यपाल ने शिमला के रिज मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैम्पियनशिप का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैम्पियनशिप का शुभारंभ किया। नशा छोड़ो-खेल खेलो थीम पर आधारित इस चैम्पियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है।

आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के छः बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह की याद में इस चैम्पियनशिप का आयोजन करवाना उनके प्रति लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है। दूरदर्शिता और समर्पण भाव से परिपूर्ण उनका जीवन, प्रदेश के लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल के दूरदर्शी नेता होने के साथ-साथ राजनीति के दिग्गज थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास में अमूल्य योगदान दिया।

राज्यपाल ने कहा कि चैम्पियनशिप में भारत और विदेश से एथलीटों की भागीदारी यह संदेश देती है कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है और यह वैश्विक सौहार्द और संवाद की भावना को बढ़ाते हैं।

उन्होंने आहवान किया कि युवाओं को खेल गतिविधियों को जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए क्योंकि इससे शारीरिक मजबूती के साथ-साथ मानसिक शक्ति को भी हासिल किया जा सकता है।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल को नशे की बुराई से बचाने के लिए प्रदेश के सभी लोगों को सहभागिता से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने नशीले मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने वाली ऐसी पहल का समर्थन करने के लिए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने भारतीय और रूसी मुक्केबाजों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखा।

हिमाचल प्रदेश प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंद्र स्टेन ने राज्यपाल का स्वागत किया और उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

इस समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक चौहान, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक नंद लाल और हरीश जनारथा, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेन्द्र चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, राज्यपाल के सचिव चन्द्र प्रकाश वर्मा और मुक्केबाजी संघ के महासचिव यदुपति ठाकुर सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली देने की मांग की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की सभी परियोजनाओं से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली देने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सभी जल विद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही हैं, जबकि बीबीएमबी परियोजनाएं राज्य को कोई मुफ्त बिजली नहीं दे रही हैं, बल्कि बीबीएमबी परियोजनाएं स्थापित होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत की अपार संभावनाएं समाप्त हो गई हैं।

मुख्यमंत्री ने लिखा कि राज्य को नुकसान उठाना पड़ा है और उसे उसका वाजिब हक नहीं मिला है। अब आपके हस्तक्षेप से बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा जा सकता है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को अलग-अलग पत्रों में मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि एसजेवीएनएल को नाथपा झाकड़ी पॉवर प्रोजेक्ट से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त मुफ्त बिजली प्रदान की जाये। यह कदम एसजेवीएनएल की रामपुर जल विद्युत परियोजना की तर्ज पर उठाया जाए ताकि प्रभावित परिवारों के व्यापक हित में यह निर्णय लिया जा सके।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से हिमाचल प्रदेश से बीबीएमबी में एक पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर बार-बार आग्रह के बावजूद हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि बीबीएमबी से मिलने वाली ऊर्जा के बकाया भुगतान के लिए हरियाणा सरकार अपनी सहमति लिखित रूप में दे। यह भुगतान छः प्रतिशत ब्याज सहित होना है और इसकी सहमति अगली सुनवाई से पहले दी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा और पंजाब की ओर से नवंबर 1966 से अक्तूबर 2011 तक बीबीएमबी से कुल 13,066 मिलियन यूनिट ऊर्जा का बकाया लंबित है। यह बकाया हिमाचल प्रदेश को 15 वर्षों में, 871 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की दर से दिया जा सकता है।

उन्होंने कहा, ''इस मुद्दे का समाधान होने से दोनों राज्यों को भविष्य की योजनाओं पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और हरियाणा की जरूरतों को पूरा करने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं भी आगे बढ़ सकेंगी।''

मुख्यमंत्री ने प्रो-बाक्सिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप के विजेताओं को किया सम्मानित

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह मेमोरियल प्रो-बाक्सिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस सराहनीय पहल के लिये आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसे युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करेगी तथा नशा माफिया के विरूद्ध सख्त कारवाई सुनिश्चित की जायेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिये विशेष अवकाश का प्रावधान किया गया है, जबकि पहले ऐसे प्रतिभागियों को अनुपस्थित माना जाता था।

इस चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज यशपाल विजेता बने।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह आयोजन प्रो- बाक्सिंग संगठन द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की स्मृति में आयोजित किया गया। चैंपियनशिप का उद्देश्य युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह आयोजन उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है।

चैंपियनशिप का शुभारम्भ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया और इसमें भारत और रूस के पांच-पांच पेशेवर मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया।

आनी विधानसभा क्षेत्र में 81.30 करोड़ की 21 योजनाएं जनता को समर्पित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिला के निरमंड उप-मंडल के अंतर्गत बागा-सराहन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बागा-सराहन से निरमंड और आनी उप-मंडल के लिए 81.30 करोड़ रुपए की 21 विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किये।

मुख्यमंत्री ने 13.35 करोड़ की लागत से स्तरोन्नत निशानी से पाली परान्तला सड़क, 9.51 करोड़ से निर्मित कोयल से बशला संपर्क मार्ग, 4.24 करोड़ से निर्मित कटार से खादवी संपर्क मार्ग तथा 6.17 करोड़ से बजीर बावड़ी से थाचवा संपर्क मार्ग के उन्नयन कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने 6. 28 करोड़ से पर्यटन स्थल जलोड़ी जोत में निर्मित नेचर इंटरप्रिटेशन एवं सेवा केंद्र, 74 लाख रुपये की लागत से निर्मित बश्लेउ जोत के नजदीक स्थापित 10 केवी सोलर चार्जिंग सिस्टम तथा बागा सराहन से बश्लेउ जोत तक ब्राइडल पाथ के मुरम्मत कार्य का भी उद्घाटन किया।

उन्होंने 2.31 करोड़ से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना निशानी, कुईकोड, डेगेड़, टोगी, ग्राहणा पेयजल योजना, 2.62 करोड़ की बहाव सिंचाई योजना कोयल कुहल के कमान क्षेत्र विकास, 2.03 करोड़ की पेयजल योजना समोह, जगेड़, गौरा, ग्वाल पंचायत लोट के सम्बर्धन कार्य, 88. 77 लाख की पेयजल योजना तांदी कफ्टा के पुन संयोजन का कार्य, 1. 77 करोड़ रुपये से उठाऊ पेयजल योजना खुन्न बांदल, कोहिला कमांद के संवर्धन 1.59 करोड़ रुपये की लागत से अवेरी गांव के लिए अतिरिक्त स्त्रोत दोहन योजना का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 9.09 करोड़ रुपये की लागत से उठाऊ पेयजल योजना कुर्पण खड्ड से ग्राम पंचायत घाटु गमोग एवं शिल्ली के निर्माण कार्य और 9.50 करोड़ प्रस्तावित लागत से नगर पंचायत निरमंड के लिए अमृत 2.0 के तहत पेयजल योजना का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के तहत जन सुविधा के लिए विभिन्न पंचायतों के लगभग 2 करोड़ की लागत से निर्मित सामुदायिक भवनों का उद्घाटन भी किया। इसके तहत ग्राम पंचायत पोशना में 48.73 लाख, ग्राम पंचायत बक्सन में 44.61 लाख, ग्राम पंचायत जगातखाना में 32.30 लाख, ग्राम पंचायत शिशवी में 44.84 लाख रुपये से निर्मित तथा ग्राम पंचायत कोटी में 33.31 लाख रुपये से निर्मित सामुदायिक भवन शामिल हैं। उन्होंने 1.55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन खनाग एवं आवासीय भवन सहित अन्य विकास कार्यों तथा 7.18 करोड़ रुपये की लागत से आईटीआई दलाश के भवन का भी उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने आनी विधानसभा क्षेत्र में डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की। इसके अलावा आनी क्षेत्र में सीबीएसई से संबंधित स्कूल जल्द खोलने का आश्वासन दिया। उन्होंने बागा सराहन क्षेत्र के युवाओं को ई-कार्ट पर 50 फीसदी अनुदान देने की घोषणा भी की। जलोड़ीजोत से रघुपुर गढ़ और सरेउलसर तक ब्राइडल पाथ बनाने, बागा सराहन से बठाड़ सड़क का सर्वेक्षण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए जारी करने और आनी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने सराहन में झील निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए जारी करने का आश्वासन दिया, महिला मंडलों को 1-1 लाख रुपए देने तथा बागा सराहन में नेचर पार्क विकसित करने की घोषणा भी की।

रोजगार पाने के लिए नही देने पड़ेंगे एजेंटों को पैसेः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को विदेशों में नौकरी के अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस दिशा में विदेश मंत्रालय से आज हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रिोनिक्स विकास निगम एचपीएसइडीसी को भर्ती एजेंट लाइसेंस प्राप्त हो गया है। इसके अनुसार निगम को आधिकारिक तौर पर भर्ती करने की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है। यह प्रमाण पत्र निगम को विदेशी नियोक्ताओं के लिए भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने के लिए अधिकृत किया गया है

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अब भारत के उन अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है जो निजी लाइसेंस धारकों के माध्यम से नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर श्रमिकों को विदेश में रोजगार प्रदान करेगा। अब युवाओं को विदेश में रोजगार पाने के लिए एजेंटों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इससे विदेश में रोजगार के इच्छुक लोगों को गुमराह होने से बचाया जा सकेगा और उन्हें रोजगार के उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे।

इससे अब निगम अन्तरराष्ट्रीय रोजगार नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों की अनुपालना सुनिश्चित कर सकेगा। भर्ती एजेंट लाइसेंस निगम की विश्वसनीयता और कानूनी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करेगा। राज्य के लोगों को विदेशों में नौकरी करने के अवसर उपलब्ध होंगे।

केंद्र सरकार के समक्ष लम्बित 1200 करोड़ की स्वीकृत राशि का मुद्दा उठाया जाएगा

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में जलशक्ति विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जलशक्ति विभाग से संबंधित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

उप-मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जलशक्ति विभाग से संबंधित सभी लंबित परियोजनाओं व कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का सही प्रबंधन एवं जल आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।

मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह समय-समय पर अपने-अपने कार्यक्षेत्र फील्ड में जाएं और निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए और उसकी रिर्पोट अपने उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करें।

जल जीवन मिशन के तहत केंद्र से 6300 करोड़ की स्वीकृत राशि से सिर्फ 5100 करोड़ की राशि अभी तक प्राप्त हुई है और 1200 करोड़ की स्वीकृत राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। वर्ष 2024-25 में 920 करोड़ स्वीकृत हुए थे परन्तु राज्य को केवल 137 करोड़ की स्वीकृत राशि ही प्राप्त हुई है। 783 करोड़ की राशि अभी तक केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में जिन जल रक्षकों को सेवाएं प्रदान करते हुए 12 साल हो गए है उनकी रिपोर्ट शीघ्र बनाकर इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

मुकेश अग्निहोत्री ने विभाग को जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता को जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

बैठक में प्रमुख अभियंता अंजू शर्मा ने विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी उप-मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, बजट की आवश्यकता एवं आगामी लक्ष्यों पर भी विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में सचिव जल शक्ति, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नौणी के ए.आई.सी.आर.पी.फसल कीटों के जैविक नियंत्रण केंद्र ने जीता सर्वश्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना ए.आई.सी.आर.पी. फसल कीटों के जैविक नियंत्रण केंद्र को अपने प्रदर्शन के लिए वर्ष 2024-2025 सर्वश्रेष्ठ ए.आई.सी. आर.पी. केंद्र चुना गया है।

असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट में आयोजित फसल कीटों के जैविक नियंत्रण पर ए.आई.सी.आर.पी की वार्षिक बैठक के दौरान यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायक महानिदेशक पौधा संरक्षण एवं जैव सुरक्षा डॉ. पूनम जसरोटिया और आईसीएआर एनबीएआईआर, बेंगलुरु के निदेशक डॉ. एस.एन. सुशील द्वारा प्रदान किया गया। समारोह में असम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बिद्युत चंदन डेका के साथ-साथ देश भर के 70 से अधिक वैज्ञानिक भी शामिल हुए। आईसीएआर के उप महानिदेशक फसल विज्ञान डॉ. डी. के यादव भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

केंद्र के प्रधान अन्वेषक डॉ. सुभाष चंद्र वर्मा ने बताया कि ए.आई.सी.आर.पी केंद्र 1985 से विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग में संचालित किया जा रहा है और इसने जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विश्वविद्यालय की जैव नियंत्रण प्रयोगशाला अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे और उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित है। यह केंद्र फलों, विभिन्न सब्जी फसलों में लगने वाले कीटों के प्रबंधन के लिए मित्र कीटों की पहचान और परजीवी सहित कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं के सर्वेक्षण, संग्रह और पहचान में व्यापक कार्य करता है। वर्तमान में, यह अंडा परजीवी की पांच प्रजातियों, माइट, ऐथोकोरिड बग और सूक्ष्मजीवी एजेंटों को पूरे वर्ष प्रयोगशाला में रखता है। इसका इस्तेमाल सब्जियों, फलों में विभिन्न कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है जिससे किसानों की रसायनों पर निर्भरता कम होती है।

2024-25 के दौरान, इसने जैविक नियंत्रण रणनीतियों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भरमौर और स्पीति क्षेत्रों में चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। पिछले एक साल में केंद्र के कई शोध पत्र प्रतिष्ठित सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए हैं।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने टीम के समर्पण और योगदान की सराहना की। अनुसंधान निदेशक डॉ. संजीव चौहान एवं विश्वविद्यालय के सभी वैधानिक अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने भी जैविक नियंत्रण टीम को इस सराहनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

क्या मुख्य सचिव के सेवा विस्तार पर पी.जे. थॉमस मामले की तर्ज पर फैसला आयेगा?

➩ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अब तक जवाब दायर न करने से उठी चर्चा

शिमला/शैल। प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार को एक अतुल शर्मा ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी हुई है। अतुल शर्मा का आरोप है कि भारत सरकार के क्रामिक विभाग की अक्टूबर 2024 कि अधिसूचना के अनुसार प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता। क्योंकि सक्सेना पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ चल रहे आई एन एक्स मीडिया केस में सह आरोपी हैं और यह मामला सीबीआई अदालत में लंबित चल रहा है। इस मामले की प्रदेश सरकार को आधिकारिक जानकारी उपलब्ध है। क्रामिक विभाग की 2024 कि अधिसूचना के अनुसार यदि किसी अधिकारी के खिलाफ अदालत में भ्रष्टाचार का कोई मामला लंबित चल रहा हो तो ऐसे अधिकारी को सेवा विस्तार या पुर्ननियुक्ति नहीं दी जा सकती। अतुल शर्मा के इस आशय की याचिका प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित चल रही है। इस मामले में प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब दायर नहीं किया गया है और उच्च न्यायालय ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है । यह मामला अब 25 जून को पुनः सुनवाई के लिये लगा है । मामला स्पष्ट तथ्यों पर आधारित है इसलिये इसमें केंद्र और राज्य सरकार क्या जवाब दायर करती है इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है ।

उच्च न्यायालय ने जिस तरह से रेरा में चयन के बाद भी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति पर सरकार के टालमटोल रवैये का कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार को पांच लाख का जुर्माना लगाया है और अगली पेशी 25 जून तक इन नियुक्तियों की अधिसूचना जारी करने के आदेश किये हैं। उससे यह लगता है कि उच्च न्यायालय मुख्य सचिव के सेवा विस्तार मामले में भी कोई कड़ा रुख अपना सकता है। यह संभावना जताई जा रही है की जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने 3 मार्च 2011 को तत्कालीन मुख्य सतर्कता आयुक्त पी.जे. थॉमस की नियुक्ति को रद्द किया था उसी तर्ज पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार पर फैसला आ सकता है। मुख्य सचिव के सेवा विस्तार मामले ने सरकार की कार्यशैली पर ऐसे गंभीर सवाल खड़े कर रखे हैं जिनसे सरकार की विश्वसनीयता ही प्रश्नित हो गयी है । अब यह सेवा विस्तार का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। परंतु अभी तक इस पर न तो प्रदेश और न ही केंद्र सरकार कोई जवाब दायर कर पायी है। यह सेवा विस्तार भारत सरकार की अपनी ही अधिसूचना की सीधी उल्लंघना है। ऐसे में यह संभावना भी जताई जा रही है कि सरकार को और फजियत से बचाने के लिये केंद्र सरकार अपने सेवा विस्तार के आदेश को ही वापस ले ले या फिर मुख्य सचिव स्वयं की पद त्याग दें। यदि ऐसा कुछ नहीं होता है तो इसके राजनीतिक मायने सरकार और संगठन के लिये दूरगामी होंगे यह तय है।

यह है उच्च न्यायालय के आदेश

Mr. Harsh Kalta, Advocate, has put in appearance on behalf of respondent No.3 and prays for time to file reply. Even Union of India and State have not filed the replies.

2. It is pertinent to notice that this matter first came up on 09.05.2025. It was noticed at that point of time that respondent No.3 had applied for the post of Chairman, Himachal Pradesh Real Estate Regulatory Authority [H.P. RERA]. The office of Chief Justice has also received large number of representations that the appointment of Chairperson and Members, as such are not being notified and therefore, judicial notice also be taken of the same. 3. The representation dated 16.04.2025 from Sunil Kumar has been placed on record. This fact had also been noticed by us in the order dated 09.05.2025, that why the appointments have not been notified and the matter had been adjourned to 15.05.2025. In the order of the said date, reference was made to Rule 18(5) of Himachal Pradesh Real Estate [Regulation and Development] Rules 2017, the selection process has to be time bound and we directed the Secretary to file his affidavit.

4. Resultantly, on 26.05.2025, we noticed that the affidavit by Secretary dated 15.05.2025 clarified that the State Government is under the obligation as per the Rules to appoint the Chairperson and Members, but there was relocation of the said office to Dharamshala, District Kangra, which was on the basis of a policy decision.

5. Today the State has informed us by status report that vide notification dated 19.06.2025, that only one Member has been appointed namely Sh. Vidur Mehta. The affidavit dated 19.06.2025 filed today, shows that the process of appointment of other Members and Chairperson is currently under consideration and is in process.

6. The above sequence of events would go on to show that the State Government is dragging its feet for not notifying the appointment of Chairperson and the Member, though recommendation had been sent to them by the Registrar General of this Court on 13.03.2025. Resultantly, we impose a cost of Rs.5,00,000/- [Rupees Five Lacs] upon the State Government which should be deposited in the Registry of this Court by 25.06.2025. Necessary notifications be also issued regarding the appointments by the said date, failing which the Chief Secretary shall come present on the said date. 7. It is also to be noticed that in the interim period, after the recommendation sent, the office of RERA has been relocated to Dharamshala on 13.06.2025 without even identifying the alternative office place. We are also of the prima facie opinion that the whole purpose of dragging of the appointments and shifting the HQ of RERA is with a mala fide purpose and at this stage, we do not wish to say anything more. 8. It is also made clear that, in case, replies are not filed by respondents, by 25.06.2025, orders on interim directions will also be considered on the said date, regarding the extension of respondent No.3, as Chief Secretary as we had also noticed his antecedents in the order dated 26.05.2025

ए.एस.आई. पंकज को सी.बी.आई.

.........................पृष्ठ 1 का शेष

3 days. Were there more people who were assisting him in his job and if so, who are they? As discussed above, there were chats about keeping copy and then deleting (in a phone reported by SFSL). Where is this copy? Efforts must be made to retrieve it A belated move to possibly add section 238 of BNS for destruction of evidence only against ASI Pankaj may not be enough.

7. Question also arises as to whether all documents have been retrieved from the formatted pen drive using the forensic tools available with SFSL, Junga. I am in receipt of a letter from DIG, SR wherein she has mentioned about three cases in which case materials were sent to CFSL and they recovered more data than what was recovered by SFSL, Junga (Annexure-XIV). In any case, some files in its pen drive were found to be 'Corrupted'.

8. Superintendent of Police, Bilaspur has also sent a letter (Annexure-XV) in which he has mentioned regarding recovery of dead body of Shri Vimal Negi in the presence of boatmen, who spotted the dead body and has commented that the initial search of deceased Shri Vimal Negi was conducted by either ASI Paknaj or Fisherman Sunil Kumar on the direction of ASI Pankaj prior to the arrival of police station team, PS Talai,. He has further written that Inspector Manoj Kumar, SHO, PS, New Shimla seized a mobile phone and disclosed-over phone that ASI Pankaj has produced 1 pen drive that was recovered from the dead body of deceased Sh. Vimal Negi. SP Bilaspur has conducted a fact-finding enquiry regarding recovery of a pen drive from the dead body of deceased Sh.Vimal Negi after social media/news circulation of an article published on 20.04.2025. The promptness of SP Bilaspur is in sharp contrast to the efforts made by SP Shimla.

9. I have noted with concern that whereas 2 personal diaries of deceased Sh. Vimal Negi were seized on 22.03.2025 (CD No. 04 from summary of CDs) and some of his other material including laptop were recovered in March itself, mobile phone of Sh. Desh Raj was seized on 07.04.2025 (CD No. 20 in summary of CDs) and of Sh. Harikesh Meena IAS on 23.04.2025 (CD no. 36 A in summary of CDs) after Sh. Meena had been interrogated many times by the SIT.

CONCLUSION: It can be safely concluded that it has been a questionable investigation till now and influence/ attempted influence of SP Shimla who has been posted for more than 2 years in this post seems to extend beyond his domain.

His influence, his ability to block report preparation by the DGP, HP despite 12.73 Crore. However, this is a matter which would need further deliberation after the audit Para has been replied to by the department and whether the Auditor General office is satisfied with it or not.

4. That the aforesaid status report may please be taken on record in compliance with the directions issued by this Hon'ble Court vide order dated 22.04.2025 and pass appropriate orders as deemed fit in the interest of justice and fair play."